

Non Judicial



**Indian-Non Judicial Stamp  
Haryana Government**



Date 26/02/2019

Certificate No. JAZ2019B9

GRN No. 44619980



Stamp Duty Paid ₹ 19440  
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

**Seller / First Party Detail**

Name: Bhrapai widow Etc

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : Pana chulyan

City/Village : Beri

District : Jhajjar

State : Haryana

Phone: 9416474587



2766

**Buyer / Second Party Detail**

Name : Jai singh

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : Pana chulyan

City/Village : Beri

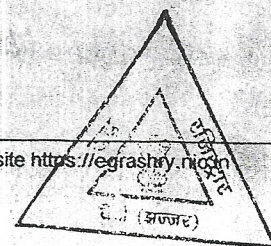
District : Jhajjar

State : Haryana

Phone : 9416474587

Purpose : Lease deed of village beri dopana

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>



रजिस्ट्रेशन फीस-1000/-रूपये व GRN NO.

पेस्टिंग फीस- 2/-रूपये दिनांक-

पट्टाकर्तागण का नाम

आधार न0-

श्रीमती भरपाई

777281658811

श्रीमती ईश्वन्ती

516867049660

जयकवार

985201379118

पट्टेदारान का नाम

जय सिंह

390302273294

R.1

भरपाई



प्रलेख नः 2766

दिनांक 28/02/2019

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम LIASE  
तहसील/सब तहसील बेरी  
गांव/शहर बेरी दोपाना

धन संबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई 216,000.00 रुपये      स्टाम्प ड्यूटी की राशि 19,440.00 रुपये  
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5,000.00 रुपये      E-Challan No.00446781 पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

Drafted By: गजानंद ऐरण

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 28/02/2019 दिन गुरुवार समय 3:10:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी भरपाई पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी हजारी निवासी बेरी दोपाना द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री भरपाई जयकवार

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी  
बेरी

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी जय सिंह पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी राजपाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री नर सिंह निवासी बेरी दोपाना व श्री/श्रीमती/कुमारी पवन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी अनुप सिंह निवासी बेरी दोपाना ने की।  
साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 28/02/2019

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी  
बेरी

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी  
बेरी

पट्टा नामा अराजी जरई (वास्ते लगाने पेट्रोल पम्प C.N.G. PUMP)

वार्षिक जरई पट्टा - 216000/-रूपये

अवधी -30 वर्ष

ई-स्टाम्प/रसीद -19440/-रूपये

सर्टिफिकेट न० JAZ2019B9 व GRN NO. 44619980 दिनांक 26-02-2019।

श्रीमती भरपाई विधवा व श्रीमती ईश्वन्ती पुत्री व जयकवार पुत्र हजारी पुत्र भगवान सिंह निवसीयान बेरी दो पाना पाना चुल्यान तहसील बेरी जिला झज्जर।

प्रथम पक्ष/पट्टाकर्ता

जय सिंह पुत्र पूर्णमल पुत्र हुक्मचन्द निवासी बेरी दो पाना पाना चुल्यान तहसील बेरी जिला झज्जर।

द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

यह कि भूमि खेवट न० 284/262 खाता न० 323/298 किते 8 रकबा तादादी 37 कनाल 5 मरले का 1/6 भाग रकबा बकदर 6 कनाल 4 मरले 1 सरसाई स्थित बेरी दो पाना तहसील बेरी जिला झज्जर मिलकियत व मकबुजा बरुये मन्द्रजा फर्दजमाबन्दी साल 2014-15 समभाग प्रथम पक्ष की बिला भार पाक व साफ है। इसमें किसी और का कोई भाग नहीं है और प्रथम पक्ष को इसे पट्टे पर देने का पूरा अधिकार है।

यह कि अब प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त भूमि रकबा 6 कनाल 4 मरले 1 सरसाई को मुब० 216000/-रूपये (दो लाख सोलह हजार रूपये) वार्षिक जरई पट्टा के हिसाब से द्वितीय पक्ष को वास्ते लगाने पेट्रोल पम्प C.N.G. PUMP 30 वर्ष की अवधी हेतू पट्टे पर दे दी है और अपना वार्षिक जरई

R-1  
नरपाई



पट्टा देने वाला



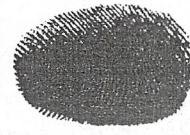
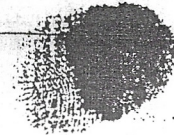
पट्टा लेने वाला

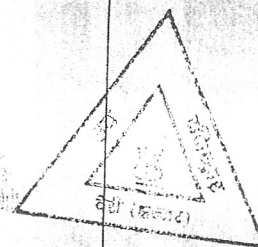


गवाह



उप /संयुक्त पंजीयन अधिकारी

|                 |         |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| पट्टा देने वाला | भरपाई   |   |    |
| पट्टा देने वाला | इशवन्ती |  |  |
| पट्टा देने वाला | जयकवार  |  |   |
| पट्टा लेने वाला | जय सिंह |  |  |
| गवाह            | राजपाल  |  |   |
| गवाह            | पवन     |  |  |



पट्टा मुब0 216000/-रुपये (दो लाख सोलह हजार रुपये) में से मुब0 100000/-रुपये (एक लाख रुपये) नकद बतौर पेशगी द्वितीय पक्ष से वसूल पा लिये हैं व शेष मुब0 116000/-रुपये (एक लाख सोलह हजार रुपये) छह महीने बाद द्वितीय पक्ष से वसूल करेंगे, शेष प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिक लगान लेते रहेंगे और रसीद देता रहेंगे, बगैर रसीद लगान मान्य ना होगा। दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित शर्तें निश्चित हुई हैं:-

1. यह कि पट्टे की अवधि दिनांक 27-02-2019 से आरम्भ होकर दिनांक 26-02-2049 को समाप्त हो जावेगी।
2. यह कि कब्जा व दखल प्रथम पक्ष की अपनी- अपनी हिस्सेदारी मिलकियत व मकबुजा मुस्ततील व कीला न0 89//19 मिन जोकि बेरी - दुजाना रोड के साथ लगती है (6-4-1) पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है।
3. यह कि पट्टे की अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर पेट्रोल पम्प लगावें, दफतर बनावें या किसी और को आगे पट्टे पर दे, लोन लेवें, बिजली कनेक्शन लेवें, टयूबवैल लगावें और जैसे C.L.U. और N.O.C. आदि कराने की बाबत पट्टाकर्तागण हस्ताक्षर करने के पाबन्द रहेंगे और इसका कोई अलग से खर्चा नहीं लेंगे तथा पट्टेदारान जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें, प्रथम पक्ष को कोई उजर व एतराज नहीं होगा।
4. यह कि पट्टे की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य में कोई रूकावट नहीं करेगा।
5. यह कि पट्टे की अवधि के दौरान हर आठ वर्ष बाद किराया में 10 प्रतिशत की वृद्धि मानी जावेगी।
6. यह कि गुजरने म्याद दिनांक 26-02-2049 को द्वितीय पक्ष उक्त भूमि से अपना सामान, मलबा इत्यादि उठा लेगा और कब्जा व दखल प्रथम पक्ष/मालिक का करा देगा।
7. यह कि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष/पट्टेदारान को पेट्रोल पम्प अलाट नहीं होता है तो दोनों पक्ष अपनी - अपनी सहमति से उक्त पट्टानामा को रद्द करने के पाबन्द होंगे।
8. यह कि उक्त भूमि का किराया पेट्रोल पम्प के तेल डालने के कार्य से आरम्भ होगा।

R.P.  
जयपूर



9. यह कि द्वितीय पक्ष/पट्टेदार उक्त भूमि को पेट्रोल पम्प C.N.G. PUMP को लीज पर देने का हक हासिल होगा।

10. यह कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस पट्टे की अवधि बढ़ा सकेंगे।

11. यह कि दोनों पक्षों के वारसान व कायमकामान भी इस पट्टानामा की तमाम शर्तों के पाबन्द रहेंगे।

अतः यह पट्टानामा दोनों पक्षों ने अपनी - अपनी स्वस्थ चित व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव व आग्रह के अपनी - अपनी प्रसन्नता से लिख दिया कि प्रमाण रहें कि दिनांक 27-02-2019 तदनुसार 8 फाल्गुन 1940 शाका वार बुधवार बेरी।

श्रीमती भरपाई

श्रीमती ईश्वन्ती

जयकवार

जय सिंह

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

*Trish*

राजगणेशदास के नरार्थ  
साक्षी 1  
11/28

पक्ष के नरार्थ  
साक्षी 2  
11/28

दस्तावेज पढ कर सुना व समझा दिया है।

लेखक राजगणेशदास वल्लभनगरिया  
बेरी राजका 176  
राजगणेशदास

Reg. No.

2766

Reg. Year

2018-2019

Book No.

1

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 2766 आज दिनांक 28/02/2019 को बही नं. 1 जिल्द नं. 1 के पृष्ठ नं. 195 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं. 1955 के पृष्ठ संख्या 16 से 19 पर छिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा भर सामने किये हैं।

दिनांक 28/02/2019

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी  
बेरी

